कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, चिलकहर –बलिया।

पत्रांक– 175 ई–टेण्डर / 2026–27 दिनांक– 18-05-2026

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कम में ई–टेण्डरिंग खण्ड विकास अधिकारी चिलकहर –बलिया में समस्त पजीकृत फर्मो / ठेकेदारों से निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऑनलाईन ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत फर्म / ठेकेदार ई–निविदा प्रस्तुत कर सकते है।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	निविदाओं की ऑनलाईन उपलब्धता	ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की तिथि	मूल अभिलेख (निविदा सूचना के अनुसार जमा करनें की अन्तिम तिथि समय)	ई–टेण्डरिंग निविदा खोलने की तिथि व स्थान
1	ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर अपलोड निविदा।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह 05:00 बजे तक।	28.05.2026 को अपरान्ह 05:00 बजे तक।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह 05:00 बजे तक।	29.05.2026 अपरान्ह 03:00 बजे विकास खण्ड चिलकहर –बलिया

www.etender.up.nic.in पर उक्त निविदाओं की विस्तृत जानकारी हेतु लाग–ऑन करके देखी जा सकती है।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर –बलिया

प्रतिलिपिः– स्थानीय संवादाता / विज्ञापन व्यवास्थापक को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञापन को अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम दर पर प्रकाशित कर प्रकाशन की दो प्रतिया बिल के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर –बलिया

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी चिलकहर–बलिया।

पत्रांक 174 /गोशाला/भरण–पोषण/भूसा क्रय / 2026–27/ दिनांक– 18.05.2026

ई–निविदा सूचना

जिलाधिकारी महोदय, बलिया के पत्र संख्या –268 दिनांक 23.06.2025 एवं पत्र संख्या –1111 गौशाला/भूसा/साईलेज/क्र0अनु0/2025–26 दिनांक–10.02.2026 के द्वारा विकास खण्ड चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत संचालित गोवंश **गोपालपुर/हसनपुर बछईपुर विकास खण्ड–चिलकहर**, जनपद–बलिया में संरक्षित गोवंशों को भरण–पोषण हेतु अगामी वर्ष 2026–27 के लिए भुसा/साइलेज के क्रय हेतु टेण्डर के माध्यम से दर अनुबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस संदर्भ में निदेशक प्रशासन एंव विकास , पशुपालन विभाग अनुबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस संदर्भ में निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र संख्या 4324/सैतीस –22018–5(53)/2018 दिनांक 02, जनवरी 2018 के प्रस्तर 3,8,2 (घ) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर पशुओं के चारे एवं भुसे/साइलेज की व्यवस्था करने एवं भूसा/साइलेज रखने की व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या–600/सैतीस/2–2023–5(53)/18 टी0सी0–2 दिनांक 03.03. 2022 शासनादेश सं0 673/सेंतीस–2–2022–5 (53) का/18 टी0सी0–2 दिनांक 01.05.2022 दिनांक 04.05.2022 के माध्यम से संरक्षित निराश्रित गोवंशों के भरण–पोषण हेतु पूर्व से ही दिशा निर्देशों एवं प्रमुख सचिव महोदय उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 970/सेंतीस–2–2024 –5(53)/18 टी0सी0 –3 पशुधन अनुभाग–2 दिनांक 07.05.2024 एवं जिलाधिकारी महोदय, बलिया के पत्र संख्या –268 दिनांक – 23.06.2025 के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुक्रम में विकास खण्ड चिलकहर की निम्नवत शर्तों के अधीन पोर्टल पर भुसा/साइलेज क्रय की दरों के निर्धारण हेतु ई–टेण्डर निविदा आमंत्रित कि जाती है। जो दिनांक 20.05.2026 को प्रातः 11:30 बजे से दिनांक 28.05.2026 को अपरान्ह् 05:00 बजे तक रहेगी। जो दिनांक 29.05..2026 को अपरान्ह् 03:00 बजे समिति द्वारा खोला जायेगा। इस विकास खण्ड में निम्न विवरण के अनुसार एक गोआश्रय स्थल संचालित है। जिसमें वर्तमान में संरक्षित गोवंशों का विवरण निम्न प्रकार है।

अल्पकालिक ई–निविदा सूचना

क0सं0	विवरण	निर्धारित तिथि व समय
1	बेवसाइड का नाम	http://etender.up.nic.in
2	ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा डाउनलोड करने की अवधि	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह् 5:00 बजे तक
3	ठेकेदार /फर्म द्वारा डाउनलोड की स्वप्रमाणित प्रति कार्यालय विकास खण्ड चिलकहर पर जमा करनें की तिथि व समय।	दिनांक 20.05.2026 को पूर्वान्ह 11:30 बजे तक से दिनांक 28.05.2026 अपरान्ह् 5:00 बजे तक
4	निविदा समिति द्वारा निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 29.05.2026 अपरान्ह् 03:00 बजे तक

वर्तमान में संरक्षित गोवंशों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 सं0	गो आश्रय स्थल का नाम	संरक्षित गोवंश की संख्या	01 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रयोग हेतु आवश्यकता	
			भूसा (कुन्तल में)	दाना/पशु आहार(कुन्तल में)
1.	वृद्ध गौ संरक्षण केन्द्र हसनपुर उर्फ बछईपुर विकास खण्ड–चिलकहर जनपद बलिया	103	1545	92.7
2.	अस्थाई गौ आश्रय स्थल गोपालपुर, विकास खण्ड–चिलकहर जनपद बलिया।	69	1035	62.10
	योग	172	2580	154.8

उपरोक्तानुसार तालिका में दर्शायें विवरण के अनुसार भूसा–2580.00 कुन्तल और चोकर/दाना 154.80 कुन्तल औसत आपूर्ति आपके फर्म द्वारा किया जाना होगा।

भूसा क्रय की शर्ते निम्न प्रकार है:–

1. शासनादेश सं0 970/37–2–2024 (53) /18 टी0सी0 –3 पशुधन अनुभाग –2 दिनांक 07.05.2024 एवं जिलाधिकारी महोदय, बलिया द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में भूसा/साइलेज क्रय की अधिकतम दरे मु0–700.00 प्रति कुन्टल से अधिक नहीं होगी। अनुबन्ध दरों से न्यूनतम दर पर गोशालाये भूसा क्रय हेतु स्वतंत्र होगी।
2. उपरोक्त तालिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में 2580 कुन्टल रू0 700.00 प्रति कुन्टल की दर से 18.06 लाख रू0 अनुमानित बिड मूल्य होगा। जिसमें ई0एम0डी0 के रूप में जिलाधिकारी महोदय, बलिया के पत्र सं0 –268 दिनांक 30.03.2025 के साथ संलग्न भूसा क्रय की शर्तों में उल्लेखित रू0 40000.00 का बैंक का ड्राफ्ट खण्ड विकास अधिकारी महोदय चिलकहर के पक्ष में बनवाकर जमा किया जाना होगा। भूसा की आपूर्ति हेतु सम्भावित अनुमानित मात्रा दर्शायी गयी है, जो घट बढ़ सकती है।
3. निविदा शुल्क 1000.00 (एक हजार मात्र) खण्ड विकास अधिकारी चिलकहर बलिया के क्षेत्र निधि खाता संख्या–3317086682 आई0एफ0एस0सी0 कोड–BARBOBUPGBX उ0प्र0ग्रामीण बैक डुमरी–बलिया में आर0टी0जी0एस0/नेफ्ट/नगद जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त प्रपत्र न होने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म के निविदा को अवैध माना जायेगा।

4. प्रत्येक माह के लिए सम्भावित आवश्यक भूसा की मात्रा आपूर्ति पूर्व माह की 25 तारीख तक प्रत्येक दशा में करनी होगी।
5. सेवा प्रदात्ता फर्म का जी0एस0टी0 पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसकी छाया प्रति संलग्न करे।
6. सेवा प्रदात्ता फर्म का जी0एस0टी0 पेन कार्ड पंजीयन होना अनिवार्य है। जिसकी छाया प्रति संलग्न करे।
7. सेवा प्रदात्ता फर्म को 03 वर्ष का आइ0टी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य है। जिसकी छाया प्रति संलग्न करे।
8. सेवा प्रदात्ता फर्म की दरे जी0एस0टी0 सहित एफ0ओ0आर(गोदाम के अन्दर तक पहुचाने तक) की होनी चाहिए।
9. सेवा प्रदात्ता फर्म द्वारा भूसा /साइलेज की आपूर्ति 01 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक मान्य होगी। सेवा प्रदात्ता का कार्य संतोषजनक होने पर निर्धारित तिथि तक मान्य होगी।
10. सेवा प्रदात्ता फर्म के माध्यम से प्राप्त हुई न्यूनतम दरों पर क्रय समिति के द्वारा विचार करने के उपरान्त दरें स्वीकृत होगी।
11. गोवंश आश्रय स्थल में संरक्षित गोवंश की दर पूर्ति हेतु उच्च /उच्चतम कोटि का भूसा की आपूर्ति स्थल एवं भूसा डिपो पर धर्मकांटे की तौल पर देना होगा।
12. सेवा प्रदात्ता के पास वर्ष भर भूसा/साइलेज आपूर्ति हेतु पर्याप्त भूसे का स्टाक होना चाहिए।
13. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये एक अथवा समस्त निविदायें निरस्त कर दें, किसी भी वाद हेतु न्याय क्षेत्र जनपद बलिया होगा।
14. सेवा प्रदात्ता फर्म को रू0 100.00 के स्टाम्प पर काली सूची में न होने के शपथ –पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. चूंकि गौशाला ग्राम पंचायत द्वारा संचालित की जा रही है तथा ग्राम पंचायतों के आदेश के क्रम में ही भूसा/साइलेज की आपूर्ति की जायेगी तथा क्रय किये गये भूसा/साइलेज का भुगतान भी ग्राम पंचायतें ही करेंगी। किसी भी दशा में भुगतान हेतु खण्ड विकास अधिकारी चिलकहर एवं पशु चिकित्साधिकारी चिलकहर उत्तरदायी नहीं होगें। इस सम्बन्ध में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। उपरोक्त प्रक्रिया केवल दरों के निर्धारण हेतु की जा रही है।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर–बलिया।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर–बलिया

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी महोदय,बलिया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय,बलिया।
3. जिला विकास अधिकारी महोदय,बलिया।
4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महोदय,बलिया।
5. भुसा क्रय समिति, खण्ड विकास अधिकारी , पशु चिकित्साधिकारी , सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं ग्राम पंचायत सचिव/ प्रधान गोपालपुर/हसनपुर बछईपुर, विकास खण्ड, चिलकहर –बलिया।
6. टेण्डर समिति (खण्ड विकास अधिकारी,अ0अभि0(ग्रा0अ0वि0) एवं0 लेखाकार) विकास खण्ड चिलकहर,बलिया।
7. कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी चिलकहर–बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर –बलिया।

खण्ड विकास अधिकारी
चिलकहर–बलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by VINOD KUMAR BIND
Date: 2026.05.19 18:00:06 IST
Location: Uttar Pradesh-UP